



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 कार्तिक, 1942 (श०)

संख्या- 553 राँची, सोमवार,

2 नवम्बर, 2020 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

27 अक्टूबर, 2020

विषय:- राँची स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत राँची में स्मार्ट सिटी बनाने हेतु मेसर्स भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड को प्राप्त 647.08 एकड़ भूमि को राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में हस्तान्तरित करने के संबंध में।

संख्या-RSCCL/Land Transfer/182/2019-2638-- नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के अन्तर्गत मेसर्स भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड से प्राप्त 656.30 एकड़ भूमि पर स्मार्ट सिटी का निर्माण कार्य किया जा रहा है। नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा यह कार्य राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड नामक विशेष प्रयोजन साधन (SPV) के माध्यम से कराया जा रहा है।

2. उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-944, दिनांक-19 मार्च, 2016 मेसर्स भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड, राँची की आधुनिकीकरण हेतु एक विशेष Revival Package के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके अन्तर्गत मेसर्स भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड द्वारा झारखण्ड सरकार को 675.43 एकड़ भूमि हस्तान्तरित किया जाना था। इनमें से 341.00 एकड़ भूमि नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को स्मार्ट सिटी हेतु हस्तान्तरित किया जाना था एवं नगर विकास आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा इसके लिए प्रति एकड़ 1.10 करोड़ रु. का भुगतान किया जाना था।

3. पुनः मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनोपरान्त नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-5669, दिनांक-04.09.2017 द्वारा अंतिम तौर पर राँची स्मार्ट सिटी बनाने हेतु मेसर्स भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड, राँची की उपर वर्णित कुल 675.43 एकड़ भूमि में से 656.30 एकड़ भूमि उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-944, दिनांक-19.03.2016 द्वारा निर्धारित 1.10 करोड़ रु. (एक करोड़ दस लाख रुपये मात्र) प्रति एकड़ की दर से नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड को प्रत्यर्पित किये जाने के विरुद्ध कुल 721,93,00,000/- रुपये मात्र की भुगतान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस क्रम में मेसर्स भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड, राँची तथा नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के पदाधिकारियों द्वारा दिनांक-22 मई, 2018 को हस्ताक्षरित First Deed of Conveyance के द्वारा 508.44 एकड़ भूमि तथा दिनांक-17 जनवरी, 2019 को हस्ताक्षरित 147.86 एकड़ भूमि Second Deed of Conveyance के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को राँची स्मार्ट सिटी के लिए हस्तान्तरित किया गया है।

4. HEC Ltd. के द्वारा हस्तान्तरित किये गये 656.30 एकड़ भूमि में से 647.08 एकड़ भूमि का निबंधन दिनांक-29.02.2020 को Sale Deed No. 2020/RAN/2008/BK1/1837 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के पक्ष में किया गया। इस निबंधित 647.08 एकड़ भूमि के अन्तर्गत भू-खण्डों की विवरणी निम्नवत् है:-

Sr. No.	Village	Land in Acres
1	Latma (237.03+4.15)	241.18
2	Kalyanpur	105.80
3	Kachnartoli	154.52
4	Jagarnathpur	134.89
5	Hatia	10.69
	Total Land	647.08

5. स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वयन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-4552, दिनांक-16.08.2016 के द्वारा राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड नामक विशेष प्रयोजन साधन (SPV) का गठन किया गया एवं इसे निम्नांकित शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं:-

- स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राँची नगर निगम बोर्ड को नगरपालिका अधिनियम-2011 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग, राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा।
- नगरपालिका अधिनियम-2011 के आलोक में स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वयन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध शक्तियों का उपयोग, राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल के द्वारा किया जाएगा।
- जिन मामलों में राज्य सरकार का अनुमोदन अपेक्षित हो, उन पर स्मार्ट सिटी मिशन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संकल्प संख्या-4485, दिनांक-04.12.2016 के द्वारा

गठित राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPSC) के स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

6. उक्त वस्तुस्थिति के क्रम में निम्नांकित प्रस्ताव है:-

(क) राँची स्मार्ट सिटी के निर्माण हेतु मेसर्स भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के पक्ष में निबंधित 647.08 एकड़ भूमि स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत ABD area को विकसित करने के लिए विशेष परियोजन साधन (Special Purpose Vehicle) राँची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हस्तान्तरित किया जाएगा।

(ख) Indian Stamp Act, 1893 की धारा 3 के परंतुक के अनुसार जिन दस्तावेजों में सरकार को स्टाम्प शुल्क देने का दायित्व है, उन दस्तावेजों में स्टाम्प शुल्क नहीं लगेगा। राँची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड झारखण्ड सरकार की ईकाई है, अतः विषयगत मामले में स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क देय नहीं होगा।

(ग) उक्त भूमि को हस्तान्तरित करने के निमित्त Deed of Conveyance का प्रारूप क्षेत्र की विवरणी के साथ संलग्न है।

(घ) नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के द्वारा राँची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भूमि प्रथमतः हस्तान्तरित की जाएगी एवं इस राशि (रु. 711.79 करोड़) की प्रतिपूर्ति राँची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को e-auction के माध्यम से प्राप्त राशि के द्वारा किया जाएगा तथा इस राशि (रु. 711.79 करोड़) पर प्रथम अधिकार झारखण्ड सरकार का होगा।

संदर्भित प्रस्ताव को राज्य मंत्रीपरिषद की दिनांक-16.10.2020 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-25 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।
